जनपद गाजियाबाद **प्रेस नोट** **दिनांक-1/11/2021**

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा कार चोरी कर उसका रंग व इंजन नं0 चैसिस नं0 परिवर्तित कर बेचने वाले 03 शातिर चोरो / मैकेनिको को चोरी की एक व एक अन्य अर्ध निर्मित कार व कार के एक इंजन व अन्य गाडियो के पार्ट सहित गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव थाना प्रभारी टीला मोड के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार चोरी कर उसका रंग व इंजन नं0 चैसिस नं0 परिवर्तित कर बेचने वाले 03 शातिर चोरो / मैकेनिको को चोरी की एक व एक अन्य अर्ध निर्मित कार व कार के एक इंजन व अन्य गाडियो के पार्ट सहित गिरफ्तार किया गया

दिनाँक 31/10/2021 को रात्रि में समय करीब 20.30 बजे अजन्ता पुरम सोसायटी के पास गढढे वाले जंगल से मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर चोरो / मैकेनिको (सोनू उर्फ रहमान , मोहसीन , अब्दुल कादिर) को चोरी की एक व एक अन्य अर्ध निर्मित कार व एक अन्य कार का एक इंजन व अन्य गाडियो के पार्ट सहित गिरफ्तार किया गया । उक्त तीनो अभियुक्तो द्वारा मिलकर दिल्ली व एन0सी0आर0 क्षेत्र से कार चोरी की जाती थी व दिल्ली से कबाडियों से पुरानी एक्सीडेंटल कार व अन्य चोरी की कारो के पार्टस खरीद करके उनके इंजन नं0 / चैसिस नं0 व रंग बदलकर लोगों को बेचने का अपराध कारित करते है । जिनके द्वारा भारत चौक के पास एम0एस0 मोर्टस के नाम से एक वर्कशाप चलाया जा रहा था । अभियुक्तगण द्वारा मिलकर दिनांक 29/10/2021 को शालीमार सिटी से एक टियागो कार रजि0 नं0 DL 1CW -5268 चोरी की गयी थी उक्त कार भी अभियुक्तो के कब्जे से बरामद हुई है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

(1) सोनू उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र अजगर अली नि0 जवाहर पार्क पप्पू कुट्टी वाली गली शहीद नगर थाना साहिबाबाद गा0बाद

(2) मोहसिन पुत्र शमीम निवासी ए 39 गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गा0बाद

(3) अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम राजपुर थाना बहजोई जिला सम्भल

अभियुक्त से बरामदगी -

1- अदद कार 1. टियागो न0 DL1CW5268 रंग लाल सम्बन्धित मु0अ0स0 562/2021 धारा 379 भादवि

2- एक अर्धनिर्मित कार स्विफ्ट डिजायर सिल्वर कलर

3- एक अदद कार का इन्जन

4- एक अदद मोबाइल सैमसंग

5- एक अदद प्लास्टिक का बोरा (महमूला एक अदद कार का एसीएम व मीटर)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0अ0सं0 562/21 धारा 379,411,34 भादवि बनाम थाना टीला मोड गा0बाद

2- मु0अ0सं0 580/21 धारा 414/420//467/468/471/34 भा.द.वि थाना टीला मोड गा0बाद

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जोगेन्द्र मलिक थाना टीला मोड गा0बाद
2. हे0का0 1676 राजीव कुमार , थाना टीला मोड गा0बाद

3. हे0का0 1578 आशीष प्रताप थाना टीला मोड गा0बाद
4. का0 1170 शिवमोहन थाना टीला मोड गा0बाद

एन्टी स्नैचिंग सैल व थाना ट्रोनिका सिटी की संयुक्त कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे गये 18 मोबाइल, 01 चोरी की मोटरसाइकिल, 03 चाकू, 01 सी0पी0यू0, 01 मॉनीटर व आई0एम0ई0आई0 चेन्ज करने वाले सॉफ्टवेयर की पेन ड्राइव व डोंगल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांकः 01.11.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक, अपराध के पर्यवेक्षण में एण्टी स्नैचिंग सेल व थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे गये 18 मोबाइल, 01 चोरी की मोटर साइकिल, 03 चाकू, 01 सी0पी0यू0, 01 मॉनीटर व आई0एम0ई0आई0 चेन्च करने वाले सॉफ्टवेयर की पेन ड्राइव व डोंगल बरामद किये गये।

पूछताछ का विवरणः-

कासिम पुत्र रियाज व अब्दुल तथा हासिम उर्फ कासिम ने एक स्वर में बताया कि साहब हबीब व कासिम पुत्र रियाज तथा मैं हासिम उर्फ कासिम लोनी तथा कविनगर एवं सिहानीगेट आदि शहर क्षेत्र में अलग- अलग जगह पर घूमकर मोबाईल लूट तथा चोरी करते हैं। उन चोरी ओर लूट के फोनो को हम लोग हबीब और इमामुदीन उर्फ धोनी को 2000-2500 रूपये में बेच देते हैं। हबीब और इमामुदीन उर्फ धोनी हमसे खरीदे हुए फोनो को अकरम से फोन के लॉक तुडवाकर तथा आईएमईआई नम्बर बदलवाकर बिहार, झारखण्ड, बंगाल तथा नेपाल के मजदूरो को 4000-5000 रूपये में बेच देते हैं। पूछताछ पर धोनी ने बताया कि साहब हासिम उर्फ कासिम, अब्दुला, कासिम फोन लूट/ चोरी करके हबीब ओर मुझे बेचते है। मै और हबीब लूट/चोरी के फोनो को अकरम से प्रति फोन 500 रूपये देकर लॉक तुडवाकर आईएमईआई बदलवाकर बिहार, झारखण्ड, बंगाल तथा नेपाल के मजदूरों को बेच देते है तथा लाभ कमाते हैं। अकरम ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं, इमामुदीन उर्फ धोनी तथा हबीब द्वारा लाये गये मोबाइल फोनो के लॉक तोडकर तथा आईएमईआई बदलकर इनको फोन वापस कर देता हूँ। प्रति फोन 500 रूपये मैं लेता हूँ। अकरम ने बताया कि मेरे पास फोन लॉक खोलने तथा आईएमईआई नम्बर चैन्ज करने के लिये कम्प्यूटर में डप्त्।ब्स्म् तथा थ्त्च् भ्प्श्र।ब्ज़म्त् साफ्टवेयर है तथा अलग से एक न्ड ज्व्व्स् क्व्छळस्म् तथा एक सफेद पैन ड्राइव जिसमें साफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं मार्किट में आ रहे सभी मोबाइल फोनो के पास वर्ड क्रेक कर सकता हूँ तथा आईएमईआई नम्बर भी बदल सकता हूँ। इन्ही साफ्ट वेयर/टूल्स की मदद से मैने अब तक 800-900 फोन के लॉक तोडकर आईएमईआई नम्बर चेन्ज चुका हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. इमामुदीन उर्फ धोनी पुत्र मौ0 यूसुफ नि0 कासिम बिहार पानी की टंकी के पास थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद, मूल नि0 ग्राम बडहा भीकमशेर तहसील मुआहि थाना बाऊबढही जिला मधुबनी बिहार
2. हासिम उर्फ कासिम पुत्र ननुआ नि0 पानी की टंकी के पास कासिम बिहार थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद मूल नि0 ग्राम राजा का मझोला चन्दौसी
3. अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल कलाम नि0 पानी की टंकी के पास 30 फुटा रोड कासिम बिहार थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद मूल नि0 ग्राम अजराडा थाना खरखौदा जिला मेरठ
4. हबीब पुत्र रईस नि0 गढी कटैय्या गली नं0 4 थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद मूल नि0 ग्राम नवाज कालोनी थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
5. कासिम पुत्र रियाज नि0 आलम के ऑफिस के पास कासिम बिहार थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

6. अकरम पुत्र अमजद नि0 गली नं0 4 वकील चैक के पास कासिम बिहार थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

आपराधिक इतिहासः-

1. इमामुदीन उर्फ धोनी पुत्र मौ0 यूसुफ निवासी उपरोक्तः-
1. मु0अ0सं0 986/21 धारा 379, 411 भादवि थाना नन्दग्राम
2. हासिम उर्फ कासिम पुत्र ननुआ निवासी उपरोक्तः-
1. मु0अ0सं0 726/21 धारा 411, 482, भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
2. मु0अ0सं0 727/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
3. मु0अ0सं0 1261/18 धारा 379, 411 भादवि थाना कविनगर
4. मु0अ0सं0 723/21 धारा 394 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
3. अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल कलाम निवासी उपरोक्तः-
1. मु0अ0सं0 726/21 धारा 411, 482, भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
2. मु0अ0सं0 728/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
3. मु0अ0सं0 1261/18 धारा 379, 411 भादवि थाना कविनगर
4. मु0अ0सं0 26283/21 धारा 379, 411, 34 भादवि थाना सब्जी मण्डी नई दिल्ली
4. हबीब पुत्र रईस निवासी उपरोक्तः-
1. मु0अ0सं0 731/21 धारा 414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
5. कासिम पुत्र रियाज निवासी उपरोक्तः-
1. मु0अ0सं0 729/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
2. मु0अ0सं0 730/21 धारा 411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
3. मु0अ0सं0 723/21 धारा 394 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
4. मु0अ0सं0 986/21 धारा 379, 411 भादवि थाना नन्दग्राम
6. अकरम पुत्र अमजद निवासी उपरोक्तः-
1. मु0अ0सं0 732/21 धारा 411, 120बी भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

बरामदगी का विवरणः-
1. 18 लूटे गये मोबाइल
2. 01 सी0पी0यू0
3. 01 मा ॅनीटर
4. 01 न्ड ज्व्व्स् डा ंेगल
5. 01 आई0एम0ई0आई0 चेन्ज करने वाला पैन ड्राइव
6. 01 चोरी की मोटर साइकिल
7. 03 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1. निरीक्षक श्री अब्दुल रहमान सिद्दीक प्रभारी स्वाट टीम, गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री प्रजन्त त्यागी प्रभारी एण्टी स्नैचिंग सैल, गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार प्रभारी एण्टी ऑटो थेफ्ट सैल, गाजियाबाद
4. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
5. एचसीपी 64 लोकेन्द्र कुमार एण्टी स्नैचिंग सैल, गाजियाबाद

6. है0कां0 1124 चन्द्रशेखर, एण्टी स्नैचिंग सैल, गाजियाबाद
7. है0कां0 1297 सौरभ सोलंकी, एण्टी स्नैचिंग सैल, गाजियाबाद
8. है0कां0 1564 आशुतोष, एण्टी स्नैचिंग सैल, गाजियाबाद
9. कां0 2003 सचिन बालियान, एण्टी आॅटो थेप्ट सैल, गाजियाबाद
10. कां0 921 विनय खैवाल, एण्टी आॅटो थेप्ट सैल, गाजियाबाद
11. कां0 1363 मनीष राठी, एण्टी आॅटो थेप्ट सैल, गाजियाबाद
12. कां0 742 मोहनवीर सिंह, एण्टी आॅटो थेप्ट सैल, गाजियाबाद
13. कां0 980 शशीकान्त, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद
14. कां0 सहचालक 1099 सतीश कुमार, स्वाट टीम, गाजियाबाद

<u>थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध रुप से पटाखे रखने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 2 बोरा पटाखे बरामद</u>

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध रुप से पटाखे रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 01.11.21 को समय 3.00 बजे कमल मंदिर के पास महिन्द्रा एन्कलेव थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उज्जव गोयल पुत्र स्व0 विनोद गोयल निवासी म0नं0 101 मालीवाडा प्यारेलाल पार्क के पास साहिबाबाद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 2 बोरा अवैध पटाखे बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1752/21 धारा 188/286 भादवि व 3/9 बी विस्फोटक अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध धन अर्जित करने हेतु बिना लाईसेन्स के भारी मात्रा मे अवैध रुप से पटाखे रखता है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

उज्जव गोयल पुत्र स्व0 विनोद गोयल निवासी म0नं0 101 मालीवाडा प्यारेलाल पार्क के पास साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

2 बोरा पटाखे नाजायज।

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1752/21 धारा 188/286 भादवि व 3/9 बी विस्फोटक अधि0 थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. का0 327 इरफान हुसैन थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का0 2131 तेजकुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्ता मय 02 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा के गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन मलिक के निर्देशन में मादक पदार्थों के क्रय/विक्रय पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.11.2021 को शुक्रबाजार कट कौशाम्बी से चैकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्ता श्रीमती पार्वती पत्नी सेवाराम निवासी भरतनगर दुर्गा मन्दिर खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद हालपता नीलम बिहार झुग्गी झोपडी भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को 02किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्ता द्वारा NCR क्षेत्र में नाजायज गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रीमती पार्वती पत्नी सेवाराम निवासी भरतनगर दुर्गा मन्दिर खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद हालपता नीलम बिहार झुग्गी झोपडी भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी -

अभियुक्ता के कब्जे से 02 किलो 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना।

अभियुक्ता पार्वती उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 807/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कौशाम्बी गा0बाद।

अभियुक्ता उपरोक्त के अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन मलिक
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
3. हे0का0 196 विकास कुमार
4. म0का0 25 पूनम

थाना कौशाम्बी पुलिस व एन्टीनार्कोटिक्स टीम द्वारा चैकिंग के दौरान गैंगस्टर अभियोग में वांछित सहित 02 नफर अभियुक्त मय मय 150 पव्वे अंग्रेजी शराब व 300 पव्वे देशी शराब नाजायज व घटना में प्रयुक्त 02 कार के गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन मलिक के कुशल नेतृत्व में मादक पदार्थों के क्रय/विक्रय पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में थाना कौशाम्बी पुलिस व एन्टीनार्कोटिक्स टीम द्वारा आज दिनांक 01.11.2021 को सैक्टर 1 वैशाली से चैकिंग के दौरान दो नफर अभियुक्त 1.मन्नू यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम मधुवन थाना कुचेसर स्थान जिला दरभंगा विहार हालपता फ्लैट नं0

170 G न्याय खण्ड-2 थाना इन्दिरापुरम गा0बाद उम्र 31 वर्ष(मु0अ0सं0 2213/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्द्रापुरम में वांछित है), 2.पंकज गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द गुप्ता निवासी पीपल वाली गली मौहल्ला किला छावनी थाना कोतवाली सिटी वरेली जनपद बरेली हाल पता म0न0 229 नेहरू गार्डन नियर शर्मा मेडिकल स्टोर खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गा0बाद उम्र 23 वर्ष को मय 150 पव्वे अंग्रेजी शराब व 300 पव्वे देशी शराब नाजायज व घटना में प्रयुक्त 02 कार के साथ गिरफ्तार किया गया। जिन्हें न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभि0गण द्वारा NCR क्षेत्र में कार से मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मन्नू यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम मधुवन थाना कुचेसर स्थान जिला दरभंगा विहार हालपता फ्लैट नं0 170 G न्याय खण्ड-2 थाना इन्दिरापुरम गा0बाद उम्र 31 वर्ष।

2.पंकज गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द गुप्ता निवासी पीपल वाली गली मौहल्ला किला छावनी थाना कोतवाली सिटी वरेली जनपद बरेली हाल पता म0न0 229 नेहरू गार्डन नियर शर्मा मेडिकल स्टोर खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गा0बाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी -

अभियुक्त गणों के कब्जे से 150 पव्वे अंग्रेजी शराब व 300 पव्वे देशी शराब नाजायज व घटना में प्रयुक्त 02 कार बरामद होना।

आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्त मन्नू यादव उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 805/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कौशाम्बी गा0बाद।
2. मु0अ0सं0 1587/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।
3. मु0अ0सं0 1588/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।
4. मु0अ0सं0 1039/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।
5. मु0अ0सं0 1038/19 धारा 8/20/27/52 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।
6. मु0अ0सं0 1182/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।
7. मु0अ0सं0 2213/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।

अभियुक्त पंकज गुप्ता उपरोक्तः -

1. मु0अ0सं0 805/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कौशाम्बी गा0बाद।

अभि0गण उपरोक्त के अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन मलिक
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी
3. हे0का0 1403 राघव सिंह
4. हे0का0 1367 सन्दीप मलिक (नार्कोटिक्स सैल)
5. हे0का0 748 सचिन मलिक(नार्कोटिक्स सैल)
6. का0 1550 नितिन चौधरी (नार्कोटिक्स सैल)

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 25000 पुरूस्कार घोषित अपराधी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

--

दिनांक 01.11.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदया के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांकः 01.11.21 को समय 11.25 बजे चौकी करण गेट के पीछे बीकानेर स्वीट रोड पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद में अभि0 भंवर सिंह पुत्र रामफल सिंह नि0 म0न0 19 ग्राम टीला शाहबाजपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त भंवर सिंह षडयन्त्र रचते हुये अपने साथियों के साथ दिनांक 09.11.2017 को लगभग 4.30 बजे शाम सुरेन्द्र पाल सिंह जो शालीमार गार्डन अपने कार्यालय मे बैठे थे जिनका प्रोपर्टी सम्बन्धी कार्य था को दिनदहाडे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिससे आसपास क्षेत्र में भय व आतंक का माहौल व्याप्त हो गया था अभियुक्त भंवर सिंह के 10 साथियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है अभियुक्त भंवर सिंह के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट धारा 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है। व इसके विरूद्ध धारा 174A IPC का भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25000 रू0 का ईनाम भी घोषित किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भंवर सिंह पुत्र रामफल सिंह नि ग्राम टीला शाहबाजपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 19 म0न0 0 वर्ष 54

अभि0 भंवर सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 3080/2017 धारा 147/148/149/307/302/504/506/394/32/120B IPC व 7 CLA ACT थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 3105/2018 धारा 174A IPC थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.श्री नागेन्द्र चौबे प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद

2.उ0नि0 श्री जयपाल सिंह रावत चौकी प्रभारी करनगेट

3. का0124 हरदीप

4. का0 280 मंनजीत सिंह

5. का0 1046 मनोज तालान

6. का0 2461 सुनील

7. का0 3392 सुमित

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई मोबाइल लूट की घटना का अनावरण कर दो लूटेरों को मोबाइल फोन व एक चोरी की मोटरसाईकिल स्पलैन्डर के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व दिनांक 30.10.21 को पूर्वी ज्वाहर नगर में हुई मोबाइल लूट की घटना का अनावरण हेतु थाना लोनी बार्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31.10.21 की रात्रि को एवन मैरिज होम के पास से दो युवको को एक मोबाइल फोन व एक मोटरसाईकिल सुपर स्पलैन्डर बिना रजि न0 के साथ पकडा गया। बरामद मोबाइल फोन OPPO कम्पनी को चैक किया गया तो वही निकला जो पूर्वी ज्वाहर नगर में लूटा गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बार्डर पर मु0अ0स0 965/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। पकडे गये युवको से उनका नाम पता पूँछा गया तो उन्होने अपना नाम 1.वसीम पुत्र अमीर अहमद नि0 गली न0 11 लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद 2.मजहर पुत्र मुवीन नि0 डी ब्लाक गली न0 3 लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गा0बाद बताया ।

अभियुक्तगण से बरामद मोटरसाईकिल व मोबाइल फोन के सम्बन्ध में पूँछताछ की गयी तो बताया कि यह मोटरसाईकिल हम दोनो ने दिल्ली से चोरी की थी तथा मोबाइल फोन दिनांक 30.10.21 को पूर्वी ज्वाहर नगर में रास्ते पर जा रहे एक आदमी से छीन कर इसी मोटरसाईकिल पर भाग गये थे। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -</u>

1.वसीम पुत्र अमीर अहमद नि0 गली न0 11 लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद ।

2.मजहर पुत्र मुवीन नि0 डी ब्लाक गली न0 3 लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गा0बाद ।

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0स0 965/21 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

2. मु0अ0सं0 969/21 धारा 414 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

अभियुक्तगण से बरामद का विवरण-

1.एक अदद मोबाइल फोन OPPO कम्पनी सम्बन्धित मु0अ0स0 965/21 धारा 392/411 भादवि।

2.एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पलैन्डर रंग काला, बिना रजि न0 इन्जन न0 JA05EGH9E46483, चैसिस न0 MBLJAR3XH9E46988

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-उ0नि0 करनवीर सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

2-उ0नि0 सुभाष दीक्षित थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

3- हे0का0 796 राजेश कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

4-हे0का0 1476 राशिद थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दो मोटरसाईकिल चोरो को चोरी की दो मोटरसाईकिलों के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना लोनी बार्डर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 31.10.21 की रात्रि में 02 नम्बर इन्द्रापुरी पर चैकिंग की जा रही थी, चैकिंग के दौरान एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति मूवी मैजिक सिनेमा की ओर से आते दिखे जिन्हे रुकने का इशारा किया तो दोनो मोटरसाईकिल को पीछे मोडकर भागने के चक्कर में मोटरसाईकिल से गिर पडे, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर पकड़ लिया गया तथा कड़ाई से भागने का कारण पूँछा तो बताया कि हमारे पास जो मोटरसाईकिल स्पलेन्डर है, यह चोरी की है, जो हमने दिनांक 30.10.21 को राशिद गेट लोनी से चोरी की थी। उक्त बरामद मोटरसाईकिल स्पलेन्डर न0 DL5SCF553 को ई-एप पर चैक कर मोटरसाईकिल के स्वामी को अवगत कराया गया। अभियुक्तगण से उनका नाम पूँछा गया तो अपना नाम 1.सावेज पुत्र मो0 कमर नि0 गली न0 3, म0न0 263, आर्यनगर लोनी बार्डर गा0बाद 2.प्रशान्त पुत्र राकेश शर्मा नि0 ए 203 इन्द्रापुरी थाना लोनी बार्डर गा0बाद बताया।

अभियुक्तगण से ओर कड़ाई से पूँछताछ की गयी तो बताये कि हमने पहले भी एक मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी, जिसे हमने गुरुद्वारा इन्द्रापुरी के पास जंगल में छिपा कर रखा है, अभियुक्तगण कि निशादेही पर गली न0 10 इन्द्रापुरी में पड़ने वाले कीकड के जंगल से एक मोटरसाईकिल स्पलेन्डर न0 DL5SBM5231 बरामद हुई जिसे जिपनेट पर चैक किया गया तो उक्त मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली में मु0अ0स0 01274/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -</u>

1.सावेज पुत्र मो0 कमर नि0 गली न0 3, म0न0 263, आर्यनगर लोनी बार्डर गा0बाद

2.प्रशान्त पुत्र राकेश शर्मा नि0 ए 203 इन्द्रापुरी थाना लोनी बार्डर गा0बाद

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0स0 970/21 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 012740/21 धार 379 भादवी ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली।

<u>अभियुक्तगण से बरामद का विवरण-</u>

1.एक अदद मोटरसाईकिल स्पलेण्डर रंगा काला रजि0 न0 DL5SCF5530, चेसिस न0 MBLHAW080KHF23891 व ई0न0 HA10AGKHF34686

2.एक अदद मोटरसाईकिल स्पलैन्डर न0 DL5SBM5231 रंग काला, ई0न0 HA10AGHHLA7986, चेसिस न0 MBLHA082HHL10593 सम्बन्धित मु0अ0सं0 012740/21 धार 379 भादवी ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

1-उ0नि0 सौरभ कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

2-उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

3- हे0का0 246 जितेन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

4-का0 1393 सतेन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

<u>थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद</u> ।

दिनांक 01.11.2021

<u>कार्यवाहीः-</u> जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदया के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांकः 31.10.21 को समय 22.30 बजे पीर के पास बन्द पडे पैट्रोल पम्प थाना साहिबाबाद गाजियाबाद में अभि0 अमित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभि0 उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अमित पुत्र महेश सिंह नि0 खारा कुँआ अर्थला जनपद गाजियाबाद

अभि0 अमित उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

3. मु0अ0स0 2187/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार

2. है0का0 869 वाजिद अली

3. का0 2058 मोनू कुमार

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज